Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **जोधपुर में आबकारी निरीक्षक एवं उसका वाहन चालक (प्राईवेट व्यक्ति) 25 हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *15 फरवरी, बुधवार* / ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर एस.यू. अजमेर इकाई द्वारा आज जोधपुर में कार्यवाही करते हुये सोमराज विश्नोई आबकारी निरीक्षक वृत बिलाड़ा, जिला जोधपुर एवं उसके वाहन चालक सुनील विश्नोई (प्राईवेट व्यक्ति) को परिवादी से **25 हजार रूपये** की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने बताया कि ए.सी.बी. की एस.यू. अजमेर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके द्वारा संचालित लाईसेंसशुदा शराब की दूकान को निर्बाध रूप से चलने देने की एवज में सोमराज विश्नोई आबकारी निरीक्षक वृत बिलाड़ा, जिला जोधपुर द्वारा मासिक बंधी के रूप में 25 **हजार रूपये** रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी अजमेर के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री समीर कुमार सिंह** के सुपरवीजन में एसीबी एस.यू., अजमेर इकाई के **उप अधीक्षक पुलिस श्री राकेश वर्मा** के निर्देशन में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **पुलिस निरीक्षक श्रीमती मीरा बेनीवाल** एवं मय टीम के ट्रेप कार्यवाही करते हुये सोमराज विश्नोई पुत्र श्री भगवानाराम निवासी प्लॉट नं0 9, मारवाड़ अस्पताल के पास, मण्डोर, जोधपुर हाल आबकारी निरीक्षक वृत बिलाड़ा, जिला जोधपुर एवं उसके वाहन चालक सुनील विश्नोई पुत्र श्री मांगीलाल निवासी 34, सूर्यनगर, बिजेश कॉलोनी, पुलिस थाना महामंदिर, जोधपुर हाल (प्राईवेट व्यक्ति) को परिवादी से **25 हजार रूपये** की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के उप महानिरीक्षक पुलिस श्री समीर कुमार सिंह के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।